**संख्या- 3/2016/ 69/अड़तीस-9-16-04(बजट)/2014**

**प्रेषक**

**ओम प्रकाश तिवारी**
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन ।

**सेवा में,**

**मुख्य विकास अधिकारी**
जनपद- बस्ती, उत्तर प्रदेश।

**ग्राम्य विकास अनुभाग-9** **लखनऊ : दिनांक- 18 फरवरी, 2016**

**विषय-** विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों हेतु 'विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-2016 की धनराशि की द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-41/2015/760/अड़तीस-9-15-04(बजट)/2014, दिनांक-21.09.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

**2-** आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के पत्र संख्या-जी0ओ0-119/कार्यक्रम अनुभाग/वि0नि0/2015, दिनांक-08.09.2015 द्वारा विधान सभा/विधान परिषद क्षेत्रवार उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-हर्रैया, कप्तानगंज, रूधौली, बस्ती सदर एवं महादेवा हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के परिप्रेक्ष्य में अप्रयुक्त/अवशेष धनराशि का समायोजन करते हुये उपर्युक्त आदेश दिनांक-21.09.2015 द्वारा वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

**3-** अपर आयुक्त (वित्त), ग्राम्य विकास के पत्र संख्या-1353/कार्यक्रम अनुभाग/वि0नि0/2015, दिनांक-28.10.2015 के माध्यम से आदेश दिनांक-21.09.2015 द्वारा जनपद बस्ती के विषयांकित विधान सभा क्षेत्रों हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति के त्रुटिपूर्ण होने के सम्बन्ध में सूचित करते हुये कुल समायोजित धनराशि रू0 79,59,400.00 को पुन: अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया। अपर आयुक्त (वित्त) के पत्र के संदर्भ में परियोजना निदेशक, बस्ती के पत्र संख्या-3192/वि0नि0/2015-16, दिनांक-11.02.2016 के माध्यम से दिनांक-31.03.2015 तक 'विधायक निधि' की विधानसभा क्षेत्रवार अप्रयुक्त/अवशेष धनराशि की निम्नवत् सूचना उपलब्ध करायी गयी है:-

| **1** | **2** | **3 (धनराशि रूपये में)** |
|---|---|---|
| **क्र0 सं0** | **विधान सभा क्षेत्र व संख्या** | **दिनांक-31.03.2015 तक विधान सभा क्षेत्रवार अप्रयुक्त/ अवशेष धनराशि** |
| **1.** | हरैया, 307 | 33,200.00 |
| **2.** | कप्तानगंज, 308 | -- |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | |
|---|---|---|
| **3** | रूधौली, 309 | 71,000.00 |
| **4** | बस्ती सदर, 310 | --- |
| **5** | महादेवा, 311 | -- |
| **योग-** | | **1,04,200.00** |

**4-** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-41/2015/760/अड़तीस-9-15-04(बजट)/2014, दिनांक-21.09.2015 के संलग्न सूची 'अ' के क्रम संख्या-60 में अंकित धनराशियों में संशोधन करते हुये इसके स्थान पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त क्रम संख्या-60 के विधान सभा क्षेत्रवार निम्नवत् वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

| **1** | **2** | **3** | **4** | **8 (रूपये में)** |
|---|---|---|---|---|
| **क्र0 सं0** | **विधान सभा क्षेत्र व संख्या** | **दिनांक-31.03.2015 तक विधान सभा क्षेत्रवार अप्रयुक्त/ अवशेष धनराशि** | **द्वितीय किश्त की प्रस्तावित धनराशि रू0 50-50 लाख में से कालम-3 में अंकित धनराशि की ऋणात्मक स्थिति** | **वास्तविक अवशेष/ अप्रयुक्त धनराशि को समायोजित करते हुये अवमुक्त की जानी वाली प्रस्तावित धनराशि।** |
| **1** | हरैया, 307 | 33,200 | 500000-33,200 | 49,66,800 |
| **2** | कप्तानगंज, 308 | -- | 500000-0.00 | 50,00,000 |
| **3** | रूधौली, 309 | 71,000.00 | 500000-71,000.00 | 49,29,000 |
| **4** | बस्ती सदर, 310 | --- | 500000-0.00 | 50,00,000 |
| **5** | महादेवा, 311 | -- | 500000- 0.00 | 50,00,000 |
| **योग-** | | **104200** | | **24895800** |

**5-** अत: शासनादेश संख्या-41/2015/760/अड़तीस-9-15-04(बजट)/2014, दिनांक-21.09.2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

**भवदीय**

**ओम प्रकाश तिवारी**
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या- 3/2016/69 (1) /अड़तीस-9-2016, तददिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

**1-** महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
**2-** महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
**3-** मा0 सदस्य विधान सभा/विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
**4-** प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
**5-** प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
**6-** निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उ0प्र0।
**7-** निजी सचिव, मा0 सभापित, विधान परिषद, उ0प्र0।
**8-** निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
**9-** आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
**10-** अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
**11-** जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, बस्ती।
**12-** वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
**13-** नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/गार्डबुक।

**आज्ञा से,**

**ओम प्रकाश तिवारी**
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।